>

Title: Need to provide financial assistance to entrepreneurs engaged under Waste to Energy Plan of the Government.

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ रिन्युएबल एनर्जी विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...(व्यवधान) जैसे कि सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है...(व्यवधान) भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है और पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की पहचान एग्रीकल्चरल बेस्ड नेशन के रूप में है...(व्यवधान)

लेकिन आज जो एग्रीकल्चर वेस्ट की समस्या है । उस वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए हमारे यहां पर हमारी सरकार की ओर से, विशेष तौर से हमारे श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी की एक विशेष योजना है, उससे उनको महत्व मिलता है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होता है । उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है ।...(व्यवधान) गवर्नमेंट के इसी विज़न के कारण हमारे क्षेत्र में एक युवा एनआरआई आए हैं । हमारे क्षेत्र में 240 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने का प्लान, जिसमें शुगर केन वेस्ट है, काऊ डंग है, फ्रूट और वेजीटेबल्स वेस्ट है, पोल्ट्री वेस्ट है, उस वेस्ट से उन्होंने सीएनजी बायोगैस और फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन शुरू किया है ।...(व्यवधान) लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए, उनको जो सब्सिडी प्रोवाइड करानी चाहिए, वह किसी कारणवश नहीं मिल रही है ।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से विभाग से यह निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द जो युवा एनआरआई हैं, जो इतना बड़ा साहस कर रहे हैं, उनको ये फैसिलिटी दी जाए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, जिसके कारण बाकी अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल और श्री नारणभाई काछड़िया को श्री देवुसिंह चौहान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।